

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड ३ — उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178] No. 178] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 7, 2008/माघ 18, 1929 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 2008/MAGHA 18, 1929

शहरी विकास मंत्राशय

(दिस्ली प्रभाग)

अधिस्चना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2008

का.आ. 274(अ).—यत: यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 3 दिसम्बर, 2007 की सं. का.आ. 2070(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान, 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।

3. अत: अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान, 2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है। संशोधन :

जोन ''डी'' में 12982 वर्ग मीटर माप वाले निम्नलिखित क्षेत्र के भू–उपयोग को निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तित किया गया

स्थिति	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	परिवर्तित भू-डपयोग	सीमाएं
1	2	3	4	5
जोन ''डी'' में बापा नगर में दिल्ली हाईकोर्ट के निकट	(i) 9648 वर्ग मीटर	आवासीय	सरकारी कार्यालय/ कोर्ट	पूर्व : दिल्ली हाई कोर्ट पश्चिम : डा. जाकिर हुसैन मार्ग (45 एम आर/डब्ल्यू) उत्तर : वेलैसले मैस
	(ii) 3334 वर्ग मीटर	आवासीय	सरकारी कार्यालय/ कोर्ट	दक्षिण: आवासीय क्वार्टर (बापा नगर) पूर्व: निकटवर्ती खेल क्षेत्र/हरित क्षेत्र पश्चिम: दिल्ली हाई कोर्ट उत्तर: शेरशाह सूरी मार्ग (45.72 एम
	÷			आर/डब्ल्यू) . पश्चिम : आवासीय क्वार्टर (बापा नगर

[सं. के-13011/11/2007-डी डी [बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2008

- S.O. 274(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 2070(E) dated 3rd December, 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi, 2021.
- 3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of the following area measuring 12982 sq.m. of land in Zone-D is changed as per description listed below:—

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Adjacent to Delhi High Court at Bapa Nagar in Zone-D	(i) 9648 sqm.	'Residential'	Government Office/Courts	East: Delhi High Court West: Dr. Zakir Husain Marg (45 m R/W) North: Wellesley Mess South: Residential Quarters (Bapa Nagar)
	(ii) 3334 sqm.	'Residential'	Government Office/Courts	East: Neighbourhood Play Area/Green Spaces West: Delhi High Court North: Sher Shah Suri Marg (45.72 m R/W) South: Residential Quarters (Bapa Nagar)

[No. K-13011/11/2007-DDIB] P. K. SANTRA, Under Secy.